पत्रांक–7/मलेरिया–22–01/2018 65(7)ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ–सह–नियंत्री पदाधिकारी,
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना
संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक 05-12-18

विषय :स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,40,82,782/– (एक करोड़ चालीस लाख बेरासी हजार सात सौ बेरासी रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–9(7)ब दिनांक–07.06.18 एवं 50(7)ब दिनांक–11.10.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,40,82,782/– (एक करोड़ चालीस लाख बेरासी हजार सात सौ बेरासी रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–20–2210061010003 के अन्तर्गत आय–व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सह नियंत्री पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सघन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय ।

6. किराये के मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

7. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के कम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

(2)

10. विवरणी–।। में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु नवादा/ मुंगेर को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया जा रहा है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे ।

11. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

12. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 4/12/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 65(7)9 पटना, दिनांक : 05-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना	1580000	158000	395000	35080	18960	18960	2206000	355865	20000	10000	28000	0	21000	5000	5000	0	2650865	1119/22.10.18 1244/23.11.18
2	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0, पटना	1100000	110000	275000	30000	13200	13200	1541400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1541400	93/24.10.18
3	अपर मु0 चि0 पदा0, दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	423/31.10.18
4	अपर मु0 चि0 पदा0,पटना	0	0	0	0	0	0	0	48307	0	0	0	0	0	0	0	0	48307	602/19.11.18
5	अपर मु0 चि0 पदा0 सिवान	1000000	100000	100000	0	12000	12000	1224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1224000	367/25.10.18
6	अपर मु0 चि0 पदा0, भोजपुर	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	547/27.10.18
7	अपर मु0 चि0 पदा0, भागलपुर	800000	80000	80000	0	9600	9600	979200	0	5000	0	0	100000	0	0	10000	0	1094200	659/25.10.18
8	अपर मु0 चि0 पदा0, वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	445/27.10.18
9	अपर मु0 चि0 पदा0, सीतामढ़ी	90000	9000	9000	0	1080	1080	110160	0	2000	0	6250	8000	0	0	0	0	126410	415/8.10.18
10	अपर मु0 चि0 पदा0, पूर्णिया	3200000	320000	320000	0	38400	38400	3916800	0	0	0	0	5000	3000	0	0	0	3924800	609/8.10.18
	कुल	**9970000**	**997000**	**1399000**	**65080**	**119640**	**119640**	**12670360**	**404172**	**37000**	**10000**	**34250**	**113000**	**24000**	**5000**	**15000**	**63000**	**13375782**	

(एक करोड़ तैंतीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ बेरासी) रु0 मात्र

65(7)9
05-12-18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–II

व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत उल्लेखित प्राथमिक इकाईयों में नवादा/मुंगेर जिले का वित्तीय वर्ष 2018–19 में अतिरिक्त आवंटन

क्रमांक	जिला का नाम	मजदूरी (02–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	कुल आवंटित राशि
1	नवादा	300000	7000	307000
2	मुंगेर	400000	0	400000
	कुल योग :–	**700000**	**7000**	**707000**

(सात लाख सात हजार) रूपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–III

<u>विवरणीवार व्यय की स्थिति</u>

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	विवरणी–I	विवरणी–II	कुल
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	9970000	0	9970000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	997000	0	997000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	1399000	0	1399000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	65080	0	65080
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	119640	0	119640
6	अन्य भत्ता (01–07)	119640	0	119640
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**12670360**	**0**	**12670360**
7	मजदूरी (02–01)	0	700000	700000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	404172	0	404172
9	कार्यालय व्यय (13–01)	37000	7000	44000
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13–02)	10000	0	10000
11	दूरभाष (13–03)	34250	0	34250
12	विद्युत प्रभार (13–04)	113000	0	113000
13	विधि प्रभार (13–05)	24000	0	24000
14	वर्दी/ पोषाक (13–06)	5000	0	5000
15	किराया महसूल एवं कर (0003–14–01)	63000	0	63000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	15000	0	15000
17	दवा भण्डार (21–02)	0	0	0
	कुल योगः–	**13375782**	**707000**	**14082782**

(एक करोड़ चालीस लाख बेरासी हजार सात सौ बेरासी) रू0 मात्र

65(7)9
05-12-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003–01–01)	243000000	209500000	9970000	219470000	23530000
2	जीवन यापन भत्ता (0003–01–03)	27000000	20950000	997000	21947000	5053000
3	मकान किराया भत्ता (0003–01–04)	53303000	24620000	1399000	26019000	27284000
4	परिवहन भत्ता (0003–01–05)	423000	208000	65080	273080	149920
5	चिकित्सा भत्ता (0003–01–06)	8460000	2514000	119640	2633640	5826360
6	अन्य भत्ता (0003–01–07)	6663000	2514000	119640	2633640	4029360
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	**338849000**	**260306000**	**12670360**	**272976360**	**65872640**
7	मजदूरी (0003–02–01)	10000000	5400000	700000	6100000	3900000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	500000	9370	404172	413542	86458
9	यात्रा व्यय (0003–11–01)	1000000	455000	0	455000	545000
10	कार्यालय व्यय (0003–13–01)	600000	486000	44000	530000	70000
11	वाहन का ईधन एवं रख रखाव (0003–13–02)	200000	105000	10000	115000	85000
12	दूरभाष (0003–13–03)	100000	52250	34250	86500	13500
13	विद्युत प्रभार (0003–13–04)	500000	373000	113000	486000	14000
14	विधि प्रभार (0003–13–05)	100000	72000	24000	96000	4000
15	वर्दी / पोषाक (0003–13–06)	306000	150000	5000	155000	151000
16	किराया महसूल एवं कर (0003–14–01)	500000	261000	63000	324000	176000
17	प्रशिक्षण व्यय (0003–20–03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0003–21–01)	100000	63000	15000	78000	22000
19	दवा भण्डार (0003–21–02)	800000	40000	0	40000	760000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003–27–02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003–52–01)	1000000	0	0	0	1000000
	कुल योग:–	**357056000**	**267772620**	**14082782**	**281855402**	**75200598**

65(7)9
05-12-18

5/12/18
सरकार के विशेष सचिव